क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

276

जुलाई
2002

नीति

बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका

रिज़र्व बैंक द्वारा बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा करने के लिए बनाये गये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी दल ने अप्रैल 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सिफारिशों की जांच के बाद रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करें। उनके बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर इन सिफारिशों को बैंक अपना सकते हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। सिफारिशों को संक्षिप्त रूप से नीचे प्रस्तुत किया गया है:

सिफारिशें

सभी बैंकों के लिए

निदेशक बोर्ड के उत्तरदायित्व

निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशकों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और प्रत्येक निदेशक को बोर्ड में शामिल होने से पहले बैंक की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया जाये :

- बोर्ड द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन,
- संस्था की कार्यनीति संबंधी योजना,
- संगठनात्मक ढांचा,
- वित्तीय और अन्य नियंत्रण तथा प्रणालियां,
- बाज़ार की आर्थिक विशेषताएं और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण।

स्वतंत्र और गैर-कार्यपालक निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

(क) बैंक के वातावरण से स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों को परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक की रूपरेखा, बोर्ड की उप समितियों, उनकी भूमिका, अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में ब्यौरे, उच्च कार्यपालकों के परिचय आदि के संबंध में बैंक एक संक्षिप्त नोट नये निदेशकों के बीच परिचालित कर सकते हैं।

(ख) बैंकों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे प्रत्येक स्वतंत्र और गैर-कार्यपालक निदेशक से इस आशय का वचन लें कि उसने भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वचन देता है।

निदेशकों के लिए प्रशिक्षण

(क) बैंकों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में होनेवाली गतिविधियों/आनेवाली चुनौतियों से अपने निदेशकों को अवगत कराने की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों में भाग लेना निदेशकों को अपनी भूमिका के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकेगा।

(ख) बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशकों को बैंक की अद्यतन प्रबंधकीय तकनीकों, प्रौद्योगिकी संबंधी नयी बातों तथा वित्तीय बाज़ारों, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों आदि से परिचित कराया जाता है, ताकि वे अपनी पूरी योग्यता के साथ अपने कर्तव्य को निभा सकें।

(ग) हालांकि रिज़र्व बैंक अपने प्रशिक्षण संस्थानों में इस संबंध में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित कर सकता है, बड़े बैंक अपने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे कार्यक्रम चला सकते हैं।

नेमी जानकारी प्रस्तुत करना

कार्यनिष्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समीक्षाएं बोर्ड की प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जायें तथा प्रत्येक समीक्षा के संबंध में

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका	1
जमा प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम जमाराशि	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों में रखेंगे	3
हाजिर वायदा संविदाएं	3
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों के लिए सुविधाएँ	3
इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल	3
लॉटरी योजनाओं के लिए प्रेषण	4
भारत में शाखा / परियोजना / संपर्क कार्यालय	4
विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा खाते	4
शाखा बैंकिंग	
अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करना	4

केवल सारांश आवधिक रूप से निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये। इससे बोर्ड को विभिन्न जोखिमों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन जैसे अधिक कार्य नीतिपरक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा।

कार्यसूची और कार्यवृत्त

(क) बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप जहां तक हो सके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैठक के बाद 48 घंटे के भीतर निदेशकों को भेजा जाना चाहिए तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर निदेशकों से अनुसमर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए निदेशकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) जब तक बोर्ड संतुष्ट न हो जाये, तब तक बोर्ड को पिछली बैठकों से उभरने वाले कार्रवाई करने के मुद्दों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा अनिर्णीत मद को कार्यसूची की मदों के एक भाग के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहना चाहिए।

बोर्ड की समितियां

(क) *शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए समिति:* जैसा कि रिज़र्व बैंक ने 4 जून 2002 के अपने परिपत्र द्वारा सभी बैंकों को सूचित किया है, जिन बैंकों ने जनता को शेयर/डिबेंचर जारी किये हैं वे शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति: रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन के संबंध में अक्तूबर 1999 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रत्येक बैंकिंग संस्था के लिए जोखिम प्रबंधन समिति गठित करना अपेक्षित है। ऐसी समिति का गठन और उसके प्रचालन का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाये और उनकी भूमिका को और सुदृढ़ बनाया जाये।

(ग) पर्यवेक्षी समिति: दल द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी समिति की भूमिका और उत्तरदायित्वों, यथा बैंक के जोखिमों (ऋण और निवेश दोनों) की निगरानी, जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की पर्याप्तता की समीक्षा और उसमें सुधार लाना, आंतरिक निगरानी व्यवस्था, विधिक/नियामक नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना आदि का अनुपालन बोर्ड की प्रबंधन समिति/कार्यकारी समिति को सौंप दिया जाये।

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

बैंक, नियमित अंतरालों पर निदेशक बोर्ड को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायें:

- प्रगामी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने में हुई प्रगति तथा बैंक द्वारा अपनायी गयी रणनीति।
- बैंक के संबद्ध घटकों के संबंध में जोखिम, यथा सहायक संस्थाओं को उधार/उनमें निवेश के विवरण, ऐसे उधार/निवेश आदि का आस्ति वर्गीकरण आदि।
- कंपनी अभिशासन संबंधी मानदंडों का पालन - यथा विभिन्न समितियों का संयोजन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकें आयोजित किये जाने का समय-अंतराल और निर्णयों और समीक्षाओं का अनुपालन आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए

सूचना का आदान-प्रदान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैठकों के कार्यवृत्तों का रिकार्ड तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली में सुधार लाने के लिए बैंक, बोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करायें:

- निदेशकों द्वारा रखी गयी प्रमुख बातों का सार बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाये।
- कार्यवृत्त को और अधिक विस्तृत रूप से तैयार करना जिसमें अलग अलग निदेशकों की टिप्पणियां, असहमतियां, आदि स्पष्ट रूप से दर्शायी जायें जिन्हें उनकी पुष्टि के लिए भेजा जा सके।

कंपनी सचिव

कंपनी सचिव एक ऐसा केंद्रीय व्यक्ति है जिससे बोर्ड कंपनी कानून, लिस्टिंग संबंधी करारों, सेबी के विनियमों, शेयरधारकों की शिकायतों आदि के संबंध में संस्था द्वारा किये गये अनुपालन की स्थिति की प्रतिसूचना प्राप्त करता है। अत: बैंकों को बोर्ड के सचिव के रूप में योग्यताप्राप्त कंपनी सचिव और विभिन्न नियामक/लेखा संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन अधिकारी (जो सचिव को रिपोर्ट करेगा) की नियुक्ति हेतु विचार करना चाहिए।

निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए

निदेशकों के नामांकन के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

(क) निदेशकों को नामित/सहयोजित करते समय बैंक के बोर्ड के निदेशकों को कुछ प्रमुख उपयुक्त मानदंडों, यथा - नियमित शिक्षा, अनुभव, पिछला रिकार्ड, ईमानदारी आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ईमानदारी और उपयुक्तता संबंधी तत्त्वों का पता लगाते समय आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली हेतु की गयी कानूनी कार्रवाई, पेशेवर संस्थाओं द्वारा उन्हें सदस्यता देने से मना करना अथवा निष्कासित करना, नियामकों अथवा ऐसी संस्थाओं के द्वारा लगाये गये प्रतिबंध, पिछले संदिग्ध व्यावसायिक कार्य आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अत: निदेशकों के लिए उपर्युक्त मानदंड निर्धारित करते समय बोर्ड के निदेशकों को ऐसी उपयुक्त प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें स्वघोषणा, बाज़ार से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने जैसी व्यवस्था हो सकती है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में नामांकन के संबंध में अपनाये जा रहे नीचे दिये गये मानदंड निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन के लिए भी अपनाये जा सकते हैं:

- प्रार्थी को सामान्यत: स्नातक होना चाहिए (किसानों, जमाकर्ताओं, कारीगरों आदि से निदेशक का चुनाव करते समय इसमें छूट दी जा सकती है)।
- उसकी उम्र 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह सांसद/विधायक/विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों दोनों में निदेशक होना

यदि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के बोर्ड निदेशक का किसी बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जाना है तो निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए:

- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का स्वामी न हो (अर्थात् शेयरधारिता (अकेले या रिश्तेदारों, सहायक संस्थाओं आदि के साथ संयुक्त रूप से) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रवर्तक का रिश्तेदार न हो।
- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में पूर्णकालिक कर्मचारी न हो।
- संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बैंक की ऋणकर्ता न हो।

बोर्ड का गठन

बैंक तकनीकी और विशेष रूप से योग्यताप्राप्त कार्मिकों को शामिल कर अपने बोर्डों को समसामयिक रूप से अधिक व्यावसायिक बनायें। निदेशकों का चयन करते समय / उन्हें सहयोजित करते समय बैंक प्रयास करें कि *ऐतिहासिक कुशलता* का मिला-जुला रूप सामने आये, अर्थात् कृषि, लघु उद्योग, सहकारिता जैसे क्षेत्रों का विनियम के आधार पर प्रतिनिधित्व हो तथा *नयी कुशलताओं* अर्थात् विपणन, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) और प्रणालियों, जोखिम प्रबंधन, कार्यनीति संबंधी आयोजना, खज़ाना कार्यकलापों, ऋण वसूली जैसी कुशलताओं का आवश्यकता के आधार पर प्रतिनिधित्व हो।

जमा प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम जमा राशि

जमाकर्ताओं के आधार में वृद्धि करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि एक निवेशक के लिए जमा प्रमाणपत्र की न्यूनतम राशि को वर्तमान के पांच लाख रुपये के स्तर से घटाकर एक लाख रुपये और उसके बाद एक लाख रुपये के गुणजों में किया जाए। राशि से तात्पर्य जमा प्रमाणपत्र के अंकित मूल्य (अर्थात् अवधिपूर्णता मूल्य) से है।

बैंक द्वारा जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) सरकारी प्रतिभूतियों में रखेंगे

एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि वे उनका संपूर्ण सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में करें।

तदनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रायोजक बैंकों के पास रखी वर्तमान जमाराशियों को सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित करें।

हाजिर वायदा संविदाएं

मार्च 2002 के परिपत्र में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि जिन शर्तों के अधीन हाजिर वायदा संविदाएं (प्रतिवर्ति हाजिर वायदा संविदाओं सहित) निष्पादित की जाएंगी, वे इस प्रकार हैं:

(क) हाजिर वायदा संविदाएं केवल (i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों और (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में ही की जाएंगी।

(ख) विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में अनुषंगी सामान्य बही खाता रखने वाली बैंकिंग कंपनी, किसी सहकारी बैंक या किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती हैं।

(ग) ऐसी हाजिर वायदा संविदाओं का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक में सहभागियों के अनुषंगी सामान्य बही खातों के जरिये या भारतीय रिज़र्व बैंक में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के अनुषंगी सामान्य बही खातों के जरिए किया जाएगा।

(घ) संविभाग में प्रतिभूतियों को वास्तविक रूप में धारित किये बिना विक्रय संबंधी कोई भी लेनदेन नहीं किया जाएगा।

(ङ) प्रतिभूति लेनदेन के बारे में प्रभावी और समय-समय पर जारी अन्य सभी अनुदेशों का अनुपालन।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों के लिए सुविधाएं

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों को उदार बनाने और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अपने अनिवासी सामान्य रुपया (एनआरओ) खातों में रखी गयी शेष राशियों में से निधियों को वापस लाने की सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है:

(i) उनके बच्चों की शिक्षा से संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए 30,000 अमेरिकी डॉलर प्रति अकादमिक वर्ष तक,

(ii) खाता धारक अथवा उसके परिवार के सदस्यों के संबंध में विदेश में चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक तथा

(iii) दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उनके द्वारा धारित अचल संपत्ति की बिक्री-आय के रूप में 1,00,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष।

विदेश में आधार तैयार करने की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक ने ऐसे निवासियों के लिए यह सीमा पहले की 5,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 25,000 अमेरिकी डॉलर या उत्प्रवास के देश द्वारा निर्धारित राशि तक की है जिनके पास उत्प्रवास वीज़ा है।

इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि:

(i) अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड इंटरनेट पर केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाये जा सकते हैं जिनके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए पुस्तकों के आयात, डाउनलोड किये जा सकने वाले सॉफ्टवेयरों की खरीद अथवा निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य मद का आयात।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इंटरनेट पर अथवा अन्यथा इस्तेमाल प्रतिबंधित मदों की खरीद, उदाहरण के लिए लॉटरी टिकटों अथवा ज़ब्त अथवा गैर-कानूनी पत्रिकाओं की खरीद, घुड़दौड़ के जुए में हिस्सेदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान इत्यादि के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह की मदों/गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

(iii) इंटरनेट के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-505/MBI-2002
29 जुलाई तथा 30 जुलाई 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेबिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड भी किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाये जा सकते हैं जिनके लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है।

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की भी अनुमति है कि वे भारत से बाहर किये गये निर्यातों के लिए क्रेडिट कार्डों में नामे लिखकर भुगतान स्वीकार करें।

इससे पूर्व अक्तूबर 2000 में रिज़र्व बैंक ने सूचित किया था कि चूंकि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान के केवल अलग-अलग तरीके हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत जारी सभी नियम/विनियम तथा निदेश क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड पर भी लागू होते हैं।

लॉटरी योजनाओं के लिए प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों को जुलाई 2001 में जनसाधारण को यह सूचित करने के लिए कहा गया था कि पुरस्कार की मुद्रा/पुरस्कार आदि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए मुद्रा परिचालन योजना अथवा प्रेषण (रेमिटेंस) जैसे विभिन्न नामों के अधीन चलाये जानेवाली लॉटरी योजनाओं अथवा लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभाग की ओर किसी भी रूप में प्रेषण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे भुगतानों पर प्रतिबंध में किसी निवासीय द्वारा उपयोग करनेवाले न केवल नकद/ड्राफ्ट/क्रेडिट कार्ड/डेबिट निवासियों की ओर से अनिवासियों द्वारा किये गये भुगतान शामिल हैं, बल्कि निवासियों की ओर से अनिवासियों द्वारा किये गये भुगतान भी शामिल हैं। अत: भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किये गये भुगतान/प्रेषण के लिए वे स्वयं विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों से इस बात के लिए आग्रह किया है कि वे जनसाधारण को सचेत करने के लिए इन अनुदेशों का व्यापक प्रचार करें।

भारत में शाखा/परियोजना/संपर्क कार्यालय

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि विदेशी फर्मों/कंपनियों के भारत स्थित शाखा/परियोजना/संपर्क कार्यालयों को उनके ब्याज रहित खाते में रखी अस्थायी अतिरिक्त (सरप्लस) निधियों को किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास मीयादी जमाराशियों में रखने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर के निवासी की शाखा/कार्यालय के पक्ष में छह महीने से अनधिक अवधि के लिए निम्नलिखित के अधीन मीयादी जमा खाता खोल सकते हैं:-

- प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट है कि मीयादी जमाराशि अस्थायी अतिरिक्त निधियों में से ही है और
- शाखा/कार्यालय इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि मीयादी जमाराशि की परिपक्वता आय, परिपक्वता के तीन महीने के भीतर उनके कारोबार के लिए इस्तेमाल की जायेगी।

अलबत्ता, प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे यह सुविधा नौवहन/हवाई कंपनियों को प्रदान न करें।

विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा खाते

प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया है कि वे कुछेक शर्तों के अधीन भारतीय इकाइयों के विदेशी कार्यालय(कारोबारी/गैर-कारोबारी)/ शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालनों के प्रयोजन के लिए प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) विदेशी कार्यालय(कारोबारी/गैर-कारोबारी)/शाखा/प्रतिनिधि भारत में अपने प्रधान कार्यालय के लिए कोई वित्तीय देयता आकस्मिकता अथवा आकस्मिकता का सृजन न करें।

(ii) विदेशी कार्यालय (कारोबारी/गैर-कारोबारी)/शाखा/प्रतिनिधि रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन के बिना विदेश में अतिरिक्त निधियों का निवेश न करें। यदि कोई राशियां अतिरिक्त हो जाती हैं तो उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

(iii) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के विदेशी कार्यालय/शाखा प्रत्येक *ऑफ साइट* करार के करार मूल्य के सौ प्रतिशत तक भारत में ला सकते हैं। वे प्रत्येक *ऑन-साइट* करार के करार मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत तक भी भारत में ला सकते हैं और शेष राशि अर्थात् करार के 70 प्रतिशत को विदेश में कार्यालय/शाखा व्ययों सहित संबंधित खर्च पूरे करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। विदेशी कार्यालय को प्राधिकृत व्यापारी को एक विधिवत् लेखा परिक्षित वार्षिक विवरणी भेजनी चाहिए जिसमें लिये गये ऑफ साइट तथा ऑन साइट करारों से हुई प्राप्तियां दर्शायी जाये।

विदेशी कार्यालय तत्काल ही विदेश में खोले गये बैंक खाते के ब्यौरे प्राधिकृत व्यापारी को भेजे।

दिसंबर 2001 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय इकाइयों को भारत से बाहर अपने कार्यालय/शाखा के नाम पर कार्यालय/शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालनों के प्रयोजन के लिए प्रेषण भेजने के लिए भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी थी।

शाखा बैंकिंग

अल्प संख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करना

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि अल्पसंख्यक समुदायों को विभिन्न विकास योजनाओं से मिलनेवाले लाभ स्वच्छ तरीके से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों। अत: सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में काम करनेवाले अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और शिल्पकारों के साथ-साथ सब्जी बेचनेवालों, हाथ गाड़ी खींचने वालों, मोचियों आदि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण सुविधा को बढ़ाने के उपाय करें। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है: सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बौद्ध।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**